

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: अधिसूचना :

अधि०सं०-०९/पद०-०५-०४/२०२५, सा०प्र०..... पटना-१५, दिनांक-....., २०२६

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अखिलेश राम, वरीय प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-०८/२०२६) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यहित में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना में वरीय प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

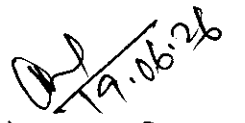
ह०/-

(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-०९/पद०-०५-०४/२०२५, सा०प्र०^{११०२५}..... पटना-१५, दिनांक-^{१३-६}....., २०२६

प्रतिलिपि:- सचिव, गृह विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री अखिलेश राम, वरीय प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-०८/२०२६) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।